भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में **"तकनीशियन (स्टेरलाईजेशन यूनिट)"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में **"तकनीशियन (स्टेरलाईजेशन यूनिट)"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक, यदि वे चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.ई) कमरा सं ३४१ ए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयए निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोडए नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या Me-dghs@gov.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

(गणेश कुमार)
अवर सचिवए भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23063481

नई दिल्ली
दिनांक :

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

Public Notice on draft Recruitment Rules for the post of **"Technician (Sterilization Unit)"** in Safdarjung Hospital, New Delhi.

In compliance with DoPT's OM. No. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dated 13.10.15, the draft Recruitment Rules for post of **"Technician (Sterilization Unit)"** in Safdarjung Hospital, New Delhi is annexed.

The stakeholders, interested in making any objections/comments or suggestions on the draft Recruitment Rules may do so in writing, within a period of 30 days from the date of publication of draft Recruitment Rules to Section Officer (MH-II), Room No.431A, Directorate General of Health Services, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110108 or at e-mail address: Me-dghs@gov.in

(Ganesh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele fax No. 23063481

New Delhi
Dated:

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2023

सा.का.नि. ....-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, केन्द्रीय स्टेरलाइज़ेशन कक्ष सहायक, तकनीशियन(स्टेरलाइज़ेशन यूनिट) और वरिष्ठ तकनीशियन(केंद्रीय स्टेरलाइज़ सेवा विभाग), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उसका संबंध तकनीशियन(स्टेरलाइज़ेशन यूनिट) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीशियन(स्टेरलाइज़ेशन यूनिट) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीशियन(स्टेरलाइज़ेशन यूनिट), (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है ।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीशियन(स्टेरलाइज़ेशन यूनिट)	9* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	**(7)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सफदरजंग अस्पताल में ऐसे केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन सेवा सहायक में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2(19900-63200/-रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) में पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली -अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन -सदस्य; 4. उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	लागू नहीं होता।

उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान से स्टेरलाइज़ेशन तकनीक में एक वर्ष का प्रशिक्षण; या कम से कम **पच्चास बिस्तरों** वाले अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन तकनीक में एक वर्ष कार्य का अनुभव; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन सेवा में कम से कम नौ महीने की अवधि का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा के साथ कम से कम **पच्चास** बिस्तरों वाले किसी अस्पताल से केंद्रीय स्टेरलाइज़ेशन तकनीक में 3 महीने का कार्य अनुभव। टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[ए.11018/55/2021-एमएच-II]

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार